(11)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक / /2023

//कार्यालय-आदेश//

अनेक अवसरों पर माननीय सदस्यों के द्वारा विधान सभा सचिवालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनके द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के प्रावधानों के तहत विधान सभा में प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न सूचनाएं, जो कि निर्णय हेतु सभा एवं माननीय अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन होती हैं, ऐसी सूचनाएं तथा उक्त सूचनाओं के जवाब सभा में प्रस्तुत होने के पूर्व ही सोशल नेटवर्क में वायरल हो जाते हैं, जो कि अत्यंत अनुचित तथा सभा की गरिमा के प्रतिकूल है एवं सभा की अवमानना की श्रेणी में आता है ।

सभा के समक्ष विचाराधीन सूचनाओं एवं उनके जवाब तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता के संबंध में आवश्यक पत्राचार शासन स्तर पर भी किया गया है ।

आदेशानुसार, समस्त प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी/शाखा प्रभारी/कर्मचारियों को यह निर्देशित करें कि ऐसी विचाराधीन सूचनाएं एवं उनके जवाब तथा सभा के कार्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता सचिवालय स्तर पर बनी रहे । यदि सूचनाओं की गोपनीयता भंग होने संबंधी जानकारी या तथ्य पाये जाते हैं, तो उक्त में संलिप्तता को ज्ञात करने हेतु शाखा के अधिकारी/कर्मचारी के **मोबाईल फोन** का तथा उन्हें **आबंटित शासकीय कम्प्यूटर सिस्टम** का अवलोकन किया जा सकेगा तथा तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

आदेश से,

हस्ता/-

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 6246/वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक 28/06 /2023

प्रतिलिपिः-

01. मान.अध्यक्ष, छ.ग. विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छ.ग.विधान सभा के विशेष सहायक को मान.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान.उपाध्यक्ष, छ.ग.विधान सभा के निज सचिव को मान.उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी छ.ग.विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष ।

28/06/23

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा